उत्तर प्रदेश शासन
बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग
संख्या- 69 /2022/2355(3)/003-54-2002-002-1-2022
लखनऊ : दिनांक 30 सितम्बर 2022

शुद्धि-पत्र

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक " 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0101-समन्वित बाल विकास योजना के अन्तर्गत वेतन का भुगतान" में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष द्वितीय त्रैमास हेतु वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या-66/2022/2355/003-54-2002-002-1-2022 दिनांक 29 सितम्बर 2022 के प्रस्तर-3 में अंकित है कि यह आदेश कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-193-X-2022-23 दिनांक 29.09.2022 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

बजट अलाटमेन्ट सिस्टम पर उक्त प्रस्तर-3 में कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-232-X-2022-23 दिनांक 30.09.2022 प्रदर्शित हो रहा है।

अत: उक्त के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-66/2022/2355/003-54-2002-002-1-2022 दिनांक 29 सितम्बर 2022 के प्रस्तर-3 को संशोधित करते हुये कम्प्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-4-232-X-2022-23 दिनांक 30.09.2022 किया जाता है।

उक्त शासनादेश संख्या-66/2022/2355/003-54-2002-002-1-2022 दिनांक 29 सितम्बर 2022 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय ।"

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या -69 /2022/2355(4)/003-54-2002-002-1-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार प्रथम/द्वितीय (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6. वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।